न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 3/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. शंकरलाल पिता मियाराम जी ब्राहमण सोनियानावाला, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. गणपतलाल पिता मियाराम जी ब्राहमण सोनियानावाला, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. छोगालाल पिता मियाराम जी ब्राहमण सोनियानावाला, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री मियाराम जी ब्राहमण सोनियानावाला पत्नी स्व. भवानीशंकर जी गोपावत, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमलाबाई पुत्री मियाराम जी ब्राहमण सोनियानावाला पत्नी मोहनलाल जी मेरावत, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती वरदीबाई पत्नी हीरालाल जी ब्राहमण सोनियानावाला, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती शान्ताबाई पुत्री हीरालाल जी ब्राहमण सोनियानावाला पत्नी प्रकाश जी कचरावत, निवासी कचरावतों का मोहल्ला, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)
5. मांगीलाल उर्फ मनीष पिता हीरालाल जी ब्राहमण सोनियानावाला, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. राज्य सरकार जरिये सहायक अभियन्ता अजमेर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. राज्य सरकार जरिये कनिष्ठ अभियन्ता, PHED, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
18.12.2017 प्रकरण संख्या 136/13

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री हितेश गिरी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2

3— श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक रे.सं. 3

4— श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभि.रे.सं. 3, 4

5— रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 स्वयं उपस्थित

———::———

निर्णय **दिनांक 10—08—2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 मियाराम जी के वारिस हैं। मौजा मेनार में खाता संख्या 1664 की आराजी नंबर 4719, 4720, 4721/1, 4721/2, 4722 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 700 की आराजी नंबर 2568 रकबा 15 बिस्वा खड्डा है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/2 प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। शेष 1/2 हिस्सा अन्य व्यक्तियों के नाम है उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपरोक्त खाता संख्या 1664 की सम्पूर्ण भूमि एवं खाता संख्या 700 में 1/2 हिस्सा मियाराम के नाम दर्ज था, जिन्होंने अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण के पक्ष दिनांक 13—03—2000 को वसीयत पत्र निष्पादित कर दिनांक 15—03—2000 को पंजीकृत करा दिया। मियाराम की मृत्यु दिनांक 30—04—2011 को हुई तब से प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर काबिज चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 से 5 का उक्त आराजियात में कोई स्वत्व व हित निहित नहीं है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरकरण संख्या 4805 में प्रार्थीगण के साथ—साथ विपक्षी संख्या 1 से 5 का नाम भी अंकित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। उक्त गलत अंकन का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 3 से 5 विपक्षी संख्या 6 व 7 से दुरभिसंधि कर वादग्रस्त कृषि भूमि का आवासीय रूप में विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन लेकर टाईटल का सबूत बनाने लगे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः विपक्षीगण को इस आयश की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 “क” एवं 3 “ख” में अंकित आराजियात में प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested

के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं विपक्षी संख्या 6 व 7 विद्युत कनेक्शन व नल कनेक्शन स्थापित नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

विपक्षी संख्या 3 से 5 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि मियाराम द्वारा कोई वसीयत नहीं की गयी है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से नाजायज लाभ उठाकर प्रार्थीगण ने वसीयत की फर्जी रजिस्ट्री करवायी है, जिसका फौजदारी मुकदमा चल रहा है। विरासत का नामान्तरकरण सही खुला है। कब्जा हमारा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–12–2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री हितेश गिरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर आयी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। वादग्रस्त आराजियात मियाराम की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। रेस्पोन्डेन्ट से मियाराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का कथन किया है, जिसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्टगण खातेदार हैं ऐसी स्थिति प्राईमाफेसी, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलान्टगण के पक्ष में हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं मूलवाद के निस्तारण तक उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञ जारी फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजियात अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में दर्ज है, जिनका अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। अपीलान्टगण ने मियाराम द्वारा दिनांक 30–04–2011 को उनके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करने का कथन किया गया है, जिसका खण्डन रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा किया जाकर कथन किया गया है कि वसीयत कूटरचित है एवं मियाराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि उक्त कथनों का प्रमाणीकरण मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 विवादित आराजियात के सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में उन्हें अपने हिस्से तक की आराजियात में निर्माण कार्य करने से नहीं रोका जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों का विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप कराना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–12–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested